दीवानी वाद संख्या 353/2021
भंवरलाल (मृतक) जरिये वारिसान बनाम मुकेश कुमार अन्य
1

18.09.2025

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री एस.सी. राजोरिया उपस्थित। प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री एन.एम.जैन उपस्थित। वादीगण की ओर से एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 11 नियम 12 व 14 सपठित धारा 151 व्य.प्र.सं. दिनांकित 27.05.2025 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 4 ने स्वयं के पक्ष में विक्रय पत्र दिनांक 17.12.2009 तथा करेक्शन डीड दिनांकित 30.12.2009 जवाबदावा में अभिवचनित की है, व उनके पास कब्जे में होकर न्यायालय में पेश करवाने बाबत निवेदन किया है। प्रार्थना–पत्र की प्रति विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण को दिलाई गई। उभय पक्ष द्वारा निवेदन किया गया है कि उक्त दस्तावेज विक्रय पत्र दिनांकित 17.12.2009 तथा करेक्शन डीड दिनांकित 30.12.2009 न्यायालय में प्रस्तुत किये जा चुके हैं। उभय पक्ष के निवेदनानुसार प्रार्थना पत्र उपरोक्त कारण से सारहीन हो चुका है, जो खारिज किया जाता है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार साक्ष्य प्रतिवादी हेतु दिनांक 09.10.2025 को पेश हो।

(विक्रान्त गुप्ता)
जिला न्यायाधीश, अजमेर।